

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :- 23/10 (223 आरटीए)

आरसीएमएस संख्या :-2010/00091

उनवान

1. दीपचन्द पुत्र ठण्डी जाति जाट निवासी न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
 2. बीरबल पुत्र ठण्डी (मृतक)
 - 2/1. सुमरन सिंह
 - 2/2. सूरजमल
 - 2/3. रामकिशन
 - 2/4. वीरी सिंह
 - 2/5. श्रीमती जमुना वेवा
- बीरबल जाति जाट निवासी न्यामदपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. देवीराम पुत्र मूला (मृतक)
 - 1/1. धनीराम
 - 1/2. धर्मवीर
 - 1/3. राजवीर
- पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

2. टोटेलाल पुत्र मूला जाति जाट निवासी न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

भूमि विकास बैंक शाखा बयाना जरिये प्रबन्धक।


4. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।
5. सब रजिस्ट्रार तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व
डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर
दिनांक 29.12.2008 प्र.सं 187/2001
उनवानी देवीराम बनाम सम्पत।

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा, श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैसपो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।


भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रैस्पो० का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं था। कब्जा नहीं था तो घोषणा एवं विभाजन का दावा करना चाहिये थो जो नहीं किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो० के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पर रैस्पो० का कब्जा काशत है। विवादित आराजी बैंक में रहन रखे होने के कारण राजस्व रिकार्ड में रैस्पो० का नाम नहीं आ सका। विवादित भूमि पूर्व में यूको बैंक में रहन थी बाद में भूमि विकास बैंक में रहन रख दी। विक्रय पत्र में स्पष्ट अंकित है कि विवादित आराजी रहन मुक्त है, कब्जा भी संभलाया जाना स्पष्ट अंकित है। अतः रैस्पो० विवादित आराजी के सदभावी क्रेतागण हैं। यदि विवादित भूमि रहन रखी थी तो धोखा देकर विक्रय क्यों किया। राजस्व रिकार्ड में कोई नोट रहन का नहीं था। इंतकाल/विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में आज तक चुनौती नहीं दी। विवादित आराजी का रैस्पो० के पक्ष में नामान्तकरण हुआ है अतः विक्रय करने के बाद से ही विवादित आराजी पर रैस्पो० का कब्जा काशत हो गया। राजस्व कर्मचारियों ने जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं किये। सदभावी क्रेतागण हैं एवं विवादित आराजी के सहखातेदार हैं। कभी भी विभाजन कराने को स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रहन भी रैस्पो० पर गलत प्रकार से रखा गया है। रैस्पो० पर से रहन हटाया जावें एवं अपीलाण्ट की अन्य आराजी से रहन को वसूला जावें। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित ग्यारह तनकीयों कायम की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल वयनामा प्रदर्श -2, नकल दाखिल खारिज संख्या 385 दिनांक 23.11.1972 प्रदर्श-3 से स्पष्ट साबित है कि वादी रैस्पो० ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है एवं उक्त वयनामा के आधार पर नामान्तकरण भी तस्दीक हुआ है। प्रतिवादी अपीलाण्ट ने उक्त दस्तावेजों के कूटरचित होने अथवा अवैध होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में प्रस्तुत किये गये हैं। वयनामा दिनांक 11.02.1972 में भी विवादित भूमि पर कोई ऋण व भार से पाक साफ होना एवं कब्जा संभलाया जाना अंकित है। इस प्रकार वादी रैस्पो० विवादित आराजी के सदभावी क्रेतागण सिद्ध होते हैं। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि को पूर्व में यूको बैंक में रहन रखा एवं उक्त ऋण के चुकता होने पर पुनः भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया। जिससे प्रतिवादी अपीलाण्ट की बदयान्ती स्पष्ट तौर पर जाहिर होती है। प्रतिवादी अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर अपने कथित कब्जे को भी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश

तनकीवार तार्किक है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 29.12.2008 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुनिदेव यादव)
भू प्रबध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर